आर.खरे भा.व.से.
न मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
.KHARE I.F.S.
cipal Chief Conservator of Forest's, M.P.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,मध्यप्रदेश
प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
O/o Principal Chief Conservator of Forest's, M.P
First Floor, Satpura Bhawan, Bhopal
Tel (Office) 0755-2674200 (Resi) 0755- 2674201 Fax- 0755-
E-mail pccfmprediffmail.com

अर्ध शास. पत्र कमॉक / **D.O.No** ...8.../...../...5.1.9
दिनांक / **Dated** :-........27/4/07.......

प्रिय श्री ....[illegible].........

विषयः–वनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने बावत ।

वरिष्ठ मंत्री गण तथा अधिकारियों द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया है कि प्रदेश के वनों में जहां – तहां आग लगी हुई है ओर स्थानीय अमला कारगर ढंग से अग्नि घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर रहा है, न ही इसकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को दी जा रही है । माननीय वन मंत्री जी द्वारा भी इस संबंध में रोष प्रकट किया गया है । एक प्रकरण में पालपुरकुनों अभ्यारण्य में अग्नि की घटनाओं के संबंध में पत्रकारों के माध्यम से उन्हें सूचना मिली है, जबकि विभाग को किसी प्रकार की सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई । निश्चय ही यह स्थिति असंतोष प्रद है ।

आपको विदित ही है कि अग्नि सुरक्षा हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा पत्र कमांक/3391 दिनांक 8–10–2006 से निर्देश जारी किये थे, जिसके अनुसार वनों में लाईन कटाई एवं जलाई का कार्य आपके द्वारा पूर्ण किया गया होगा तथा अग्नि की घटनाओं का संज्ञान लेने हेतु प्रत्येक वन मण्डल में फायर वाचिंग केम्प की स्थापना कर ली गई होगी । प्रत्येक केम्प में तीन मजदूरों की व्यवस्था हेतु धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है । तृतीय चरण में अग्नि लगने पर उसके बुझाने की कार्यवाही निर्देशानुसार की जाना है, जिस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) के पत्र कमांक/1361 दिनांक 13–4–07 द्वारा बजट का भी आवंटन किया जा चुका है । पूर्व में भी निर्देश थे कि वनों में अग्नि लगने पर उसको बुझाने का कार्य तत्काल किया जावे । इस हेतु धनराशि की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी, परन्तु प्रत्येक प्रकरण का लेखा–जोखा रखा जावे ।

उक्त निर्देशों के बावजूद भी यदि अग्नि प्रकरणों के प्रति कर्मचारी / अधिकारियों द्वारा संवेदनहीनता बरती जाती है तो निश्यच ही उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । वनों की सुरक्षा वन अधिकारियों / कर्मचारियों का मूल दायित्व है और यदि समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने तथा प्रकियाओं का निर्धारण करने के उपरान्त भी हम अपने मूल दायित्व को निपटाने में असमर्थ रहते हैं तो संवेदनहीनता क्षमा योग्य नहीं होगी ।

अतः मैं चाहूँगा कि अधिनस्थ समस्त अमले को आप इस संबंध में सजग रहने तथा अग्नि घटनाओं पर सम्पूर्ण नियंत्रण करने हेतु निर्देश जारी करें ओर हर सप्ताह अपने वृत्त में हुई अग्नि घटनाओं की जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उन्हें प्रेषित करें, जिसकी समीक्षा मैरे द्वारा स्वंय की जावेगी ।

भवदीय

(व्ही. आर. खरे) 25/4

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश ।

ए/C